VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

राजव्यवस्था

September 2016 – October 2016

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान 4

1.1 अंतर्राज्यीय नदी विवाद 4

1.1.1.कावेरी जल मुद्दा 4

1.1.2. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II का निर्णय 6

1.2. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 7

1.3 एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल 7

2. संविधान और संसद / राज्य विधायिका के कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दे 9

2.1 जनमत संग्रह की प्रासंगिकता और उपयुक्तता 9

2.2. राज्यसभा में संयुक्त समूह 10

3. न्यायपालिका 11

3.1.चयन का अधिकार 11

3.2. सिंगूर भूमि परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 12

4. शासन / पारदर्शिता / जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू 13

4.1. सिविल सेवा में सुधार 13

4.2. RTI में सुधार 14

4.3. पुलिस सुधार 14

4.4. सेना से जुड़े समता सम्बन्धी मुद्दे 17

4.5. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 18

4.6. CPGRAMS प्रदर्शन के लिए पुरस्कार 19

4.7. आधार से संबंधित विवरणों को साझा करने पर रोक 19

4.8 ई-शासन पहलें 20

4.8.1 वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल 20

4.8.2. एम्प्लॉइज ऑनलाइन मोबाइल एप्प 20

5. भारत में चुनाव 22

5.1. राष्ट्रीय दल की स्थिति की समीक्षा 22

5.2. धर्म एवं निर्वाचन 22

5.3. सशस्त्र बलों के लिए ई-डाक मतदान प्रणाली 24

5.4. पार्टी के विज्ञापन हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग करने पर चुनाव आयोग ने लगाई राजनीतिक दलों पर पाबंदी 24

5.5. चुनाव आयोग की फेसबुक के साथ भागीदारी 24

6. संवैधानिक विनियामकी एवं अन्य निकाय 25

6.1. NGOs: नियंत्रक कानून की आवश्यकता 25

VISION IAS

7. विविध _____ *27*

7.1. केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता विधेयक पर शंका का समाधान (केवल अद्यतन) _____ 27

7.2. वक्फ संपत्तियां _____ 27

7.3. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली _____ 27

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1 अंतर्राज्यीय नदी विवाद

(Interstate Water Dispute)

1.1.1.कावेरी जल मुद्दा

(Cauvery Water Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस वर्ष अगस्त में तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के जलाशयों से छोड़े गए जल में, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CDWT) द्वारा निर्देशित मात्रा की तुलना में 50.0052 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) की कमी दर्शायी है।
- तमिलनाडु ने यह कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की कि राज्य के किसानों को सांबा फसलों की खेती आरम्भ करने के लिए जल की आवश्यकता है।
- 5 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए 10 दिन तक प्रितदिन 15,000 क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश दिया। इसके कारण कर्नाटक में व्यापक विरोध प्रदर्शन एवं बंद आरम्भ हो गए।
- कर्नाटक सरकार का कहना था कि दक्षिण कर्नाटक में सूखे की परिस्थितियों के कारण जल नहीं छोड़ा जा सकता।
- 22 सितंबर को कर्नाटक विधायिका के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर यह वक्तव्य जारी किया कि "राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है" कि कावेरी बेसिन के चार जलाशयों से "कावेरी बेसिन में स्थित गांवों एवं कस्बों तथा पूरे बेंगलुरू शहर की पेयजल आवश्यकताओं के अतिरिक्त कोई जल न छोड़ा जाए।"

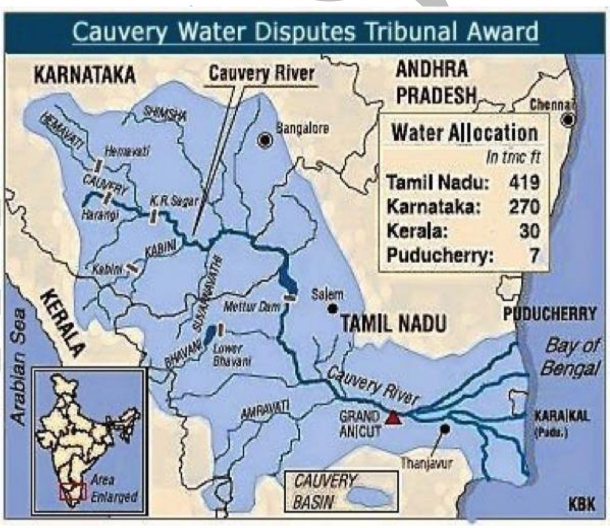

भौगोलिक कारक

कर्नाटक

- **मानसूनी वर्षा में कमी एवं अलनीनो तथा दो वर्ष तक निरंतर पड़े सूखे के कारण जल की मात्रा में कमी मुख्य कारण हैं।** कर्नाटक में सामान्य वर्षा की तुलना में 18 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।
- **भूमि का अकुशल उपयोग**: कर्नाटक की मृदा में शुष्क कृषि का गुण पाए जाने के बाद भी बड़े पैमाने पर गन्ने जैसी जल-गहन फसलें उगायी जा रही हैं।

तमिलनाडु

- तमिलनाडु दक्षिण-पश्चिमी मानसून के लिए पश्चिमी घाट की अनुवात दिशा (leeward side) में स्थित है एवं यह अधिकतर वर्षा उत्तर-पूर्वी मानसून के माध्यम से प्राप्त करता है।

पृष्ठभूमि

- 1924 के समझौते के अनुसार, कावेरी नदी का जल तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को 75%, कर्नाटक के लिए 23% एवं शेष केरल के लिए छोड़े जाने के रूप में वितरित किया जाता है।
- 1974 में, कर्नाटक (मैसूर) ने अधिकार जताया कि 1924 के समझौते के अनुसार 50 वर्षों बाद तमिलनाडु (मद्रास) के लिए जलापूर्ति बन्द होना नियत किया गया था।
- कर्नाटक ने मांग की, कि नदी के जल को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अर्थात समान भागों में विभाजित किया जाना चाहिए।

कावेरी जल न्यायाधिकरण

- तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस मुद्दे का समाधान करने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने हेतु की गयी अपील के परिणामस्वरूप 2 जून, 1990 को कावेरी जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी थी।
- 2007 में, 16 वर्षों तक सुनवाई एवं बाद में जारी किए गए एक अंतरिम आदेश के बाद, न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश की घोषणा की।
- इसमें यह निष्कर्ष दिया गया कि कावेरी में जल की उपलब्धता 740 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) है। *(राज्यों के बीच विभाजन दिए गए सूचना आलेख में दिखाए गए हैं)*

मुद्दा

- छिटपुट मुकदमेबाजी एवं तदर्थ न्यायनिर्णय का अंतहीन चक्र: कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों, संकट वर्षों के दौरान होने वाली कमी में साझेदारी करने के लिए आपसी सहभागिता को निरंतर टालते रहे हैं।
- कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अधिनिर्णय दिया। इसने दोनों पक्षों को *समानुपातिक आधार पर* कमी की साझेदारी करने के लिए कहा।
- अधिनिर्णय का कमजोर कार्यान्वयन: न्यायाधिकरण द्वारा कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए निर्मित किए जाने हेतु वांछित 'कावेरी प्रबंधन बोर्ड' एवं **विनियामक प्राधिकरण** की अनुपस्थिति के कारण।
- पर्यवेक्षण समिति: वर्ष 2013 में अपना अंतिम अधिनिर्णय अधिसूचित करने के बाद संघीय सरकार ने एक पर्यवेक्षण समिति (न कि स्वतंत्र कावेरी प्रबंधन बोर्ड) गठित की। इस समिति में संघीय सरकार एवं केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों एवं दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। न्यायालय ने अब तमिलनाडु को इस समिति के पास जाने के लिए कहा है। जल छोड़ने के संबंध में भविष्य में यही समिति निर्णय करेगी।
- इस मामले में क्षेत्रीय राजनीति एवं न्यायिक कार्यवाहियाँ विलंबित होने के कारण अत्यधिक जटिलतायें उत्पन्न हुई हैं।
- राज्य में जल की उपलब्धता का आकलन करते समय इस तथ्य की अनदेखी के लिए न्यायाधिकरण की आलोचना की गई कि नदी बेसिन में भूजल नदी के निम्न तटवर्ती राज्य में अधिक और नदी के ऊपरी तटवर्ती राज्य में कम है।

क्या किया जाना चाहिए?

- आदर्श रूप में, जल संकट साझा करने का सूत्र न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि किसी तकनीकी निकाय द्वारा दिया जाना चाहिए।
- **कावेरी प्रबंधन बोर्ड और विनियामक प्राधिकरण** की स्थापना करना।

✓ बोर्ड की स्थापना के बाद, कर्नाटक में स्थित कावेरी के सभी जलाशय, इस बोर्ड के नियंत्रण के अधीन आ जाएँगे एवं जल प्रबंधन पर राज्य का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

✓ जल के उपयोग एवं वितरण पर बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाएंगे।

✓ बोर्ड यह भी देखेगा कि राज्य प्रासंगिक स्थलों पर उचित जलीय संरचनायें सुनिश्चित करे। यह राज्यों द्वारा प्राप्त की जाने वाली जल की मात्रा को निर्धारित करेगा।

✓ खराब मानसून के दौरान: अच्छे मानसून वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष मई के अंत तक बोर्ड पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करेगा। इससे मानसून के आरम्भ में विलंब के दौरान सहायता प्राप्त होगी।

▪ प्रति वर्ष लगातार ख़राब मानसून की स्थिति में बोर्ड, न्यूनतम जल संकट सुनिश्चित करने हेतु जल को सुनियोजित रूप से वितरित करते हुए इस मुद्दे को उचित रूप से संभालेगा।

- विवाद को हल करने के प्रयासों ने समता और दक्षता के मुद्दों की उपेक्षा करते हुए मुख्य रूप से संसाधनों की साझेदारी पर ध्यान केन्द्रित किया है।

✓ आधुनिक विश्व, घटते जल संसाधनों, पहले की तुलना में कम फसली ऋतुओं एवं भूमि की कमी की समस्या से ग्रिसत है। इस परिदृश्य में कम जल-गहन फसलों का सहारा लेना एवं बेहतर जल-प्रबंधन इन समस्याओं के समाधान का सूत्र सिद्ध हो सकता है।

✓ दीर्घावधि में, कावेरी बेसिन के लिए विशेषज्ञों को स्थाई कृषि समाधान खोजने होंगे क्योंकि नदी में संभवतः दोनों पक्षों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता नहीं है।

✓ सिंचाई के विभिन्न प्रकारों जैसे ड्रिप सिंचाई, छिड़काव प्रणाली इत्यादि को व्यापक रूप से अपनाया जाना चाहिए।

✓ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीतियों पर विशेष रूप से जल गहन खाद्य फसलों के संदर्भ में पुनर्विचार करना।

✓ फसलों का कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार उत्पादन किया जाना चाहिए।

©Vision IAS

- नदी बेसिन योजना निर्माण: हितधारक राज्यों को सम्पूर्ण नदी बेसिन के लिए सामूहिक रूप से योजना बनानी चाहिए क्योंकि कावेरी बेसिन में सीमा से अधिक निर्माण किया जा चुका है एवं बार-बार उभरने वाले जल संकट को हल करने के लिए विधिक साधन अपर्याप्त हैं।
- कुछ वर्ष पूर्व दोनों राज्यों के किसानों को समाविष्ट करने वाला एक निकाय **'कावेरी परिवार'** निर्मित किया गया था। इस प्रकार की गैर-राजनीतिक पहलें किसानों के बीच सहयोग में सहायता कर सकती हैं।
- डेटा: जलाशय के भंडारण के लिए वर्षा संबंधी त्वरित और सटीक जानकारी का संचरण विभिन्न हितधारकों के बीच वर्तमान में व्याप्त अविश्वास को समाप्त करने में सहायता कर सकता है।

1.1.2. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II का निर्णय

(Krishna Water Disputes Tribunal II Verdict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- न्यायमूर्ति बृजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा जल न्यायाधिकरण II ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कृष्णा नदी के जल के चार तटवर्ती राज्यों के बीच पुनर्वितरण की मांग को ठुकरा दिया है। ये चार राज्य- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।

पृष्ठभूमि

- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण I (KWDT I) केंद्र सरकार द्वारा 1969 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश के बीच विवाद को हल करने के लिए स्थापित किया गया था।
- 1973 में KWDT I (बछावत आयोग) ने अपने अंतिम निर्णय में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, तीनों राज्यों के बीच जल की हिस्सेदारी का बँटवारा किया।
- अप्रैल 2004 में, मुख्य रूप से अलमाटी बांध की ऊंचाई के मुद्दे पर सभी तीन राज्यों द्वारा अनुरोध के बाद भारत सरकार द्वारा KWDT II का गठन किया गया था।
- KWDT II ने 31 दिसंबर 2010 को अपना मसौदा निर्णय दिया। KWDT II ने जल के आवंटन की अगली समीक्षा वर्ष 2050 के बाद होने का फैसला दिया।

मौजूदा मामला क्या है?

- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी मौजूदा याचिका में सभी चार तटवर्ती राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल के पुनःआवंटन की मांग की है।
- उनके मुताबिक, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,2014 में धारा 89 सभी चार तटवर्ती राज्यों के मध्य कृष्णा नदी जल के पुनर्वितरण का प्रावधान करती है, न कि सिर्फ उन दोनों के बीच।

निर्णय

- न्यायाधिकरण ने कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 89 महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए लागू नहीं होती।
- कृष्णा बेसिन के बाहर जल अनुप्रयोगों के आधार पर किये गए आवंटन ऐतिहासिक आधार पर मान्य हैं।
  - AP और तेलंगाना को अविभाजित AP के लिए आवंटित जल को ही साझा करना है, न उससे ज्यादा न उससे कम।
- तेलंगाना द्वारा दावा किया गया कि AP का बँटवारा कृष्णा नदी के जल के असमान आवंटन के कारण हुआ था, न्यायाधिकरण ने इसे ख़ारिज कर दिया।
- न्यायाधिकरण ने कहा कि AP जल के असमान वितरण के कारण विभाजित नहीं हुआ था, बल्कि तेलंगाना के लोगों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए विभाजित हुआ था।

आगे की राह

- एक समाधान जल को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाना हो सकता है। मिहिर शाह रिपोर्ट के अनुसार नदियों का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय जल प्राधिकरण का गठन किया जा सकता है।
- केंद्र निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यह भूमिका अदालतों द्वारा नहीं निभाई जा सकती, क्योंकि यह एक राजनीतिक प्रश्न है जिसके राजनीतिक परिणाम होंगे।
- जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस विषय को समवर्ती सूची में लाने की आवश्यकता बताई है।

 ©Vision IAS

- इसने जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाने के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय सहमति बनाने हेतु "गंभीर" प्रयास आरम्भ करने का आग्रह भी किया, ताकि जल संरक्षण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा सके।

1.2. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

(Western Zonal Council Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर, 2016 में आयोजित की गई।
- क्षेत्रीय परिषदों को अर्थव्यवस्था और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सिफारिशें देने का अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त है।

महत्व

- क्षेत्रीय परिषद इन राज्यों के बीच सहकारी तरीके से काम करने की प्रवृत्ति विकसित करने में मदद करती है। बैठक में चर्चा किए गए विभिन्न पहलुओं और एजेंडे से राज्यों के बीच सौहार्द्र में वृद्धि होगी।
- क्षेत्रीय परिषदें अंतर-राज्यीय समस्याओं को सुलझाने और संबंधित क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ स्वस्थ अंतर-राज्य और केन्द्र-राज्य संबंध के विकास को भी सुगम बनाएंगी।

क्षेत्रीय परिषद के बारे में

- क्षेत्रीय परिषदों का विचार राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की रिपोर्ट पर बहस के दौरान उभरा।
- पंडित नेहरू की दृष्टि के आलोक में, पांच क्षेत्रीय परिषदों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया (क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं हैं, वे सांविधिक निकाय हैं)

✓ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
✓ केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद
✓ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
✓ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
✓ दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद

- पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय (vii) नगालैंड और (viii) सिक्किम क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं और उनकी विशिष्ट समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद द्वारा देखा जाता है, जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित है।

1.3 एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल

(Ek Bharat Shreshtha Bharat Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "एक भारत श्रेष्ठ भारत" पहल का आरम्भ किया गया।

पहल के बारे में:

- यह भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए यह एक **अभिनव उपाय है जिससे विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों** की संस्कृति, परंपराओं तथा प्रथाओं के ज्ञान के माध्यम से **राज्यों के मध्य एक बेहतर समझ एवं संबंध को बढ़ावा** मिलेगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया जाएगा।
- इस योजना के अनुसार, दो राज्य **एक वर्ष के लिए एक अद्वितीय साझेदारी आरम्भ** करेंगे जिसमें सांस्कृतिक और विद्यार्थी आदान-प्रदान को लक्षित किया जाएगा। इस पहल के तहत शुभारंभ के अवसर पर दोनों राज्यों के मध्य 6 सहमति पत्रों (MOUs) पर हस्ताक्षर भी किए गए थे।
- इसमें एक विशेष राज्य का विद्यार्थी, एक-दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करेगा।
- **जिला स्तर पर भी ऐसे जोड़े बनाये जाएंगे** तथा यह राज्य स्तर के जोड़े से स्वतंत्र होंगे।

VISION IAS

- वार्षिक कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों और जिलों को जोड़ने में यह गतिविधि अत्यधिक सहायक होगी, यह संस्कृति, पर्यटन, भाषा, शिक्षा व्यापार आदि के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों को जोड़ेगी।
- नागरिक कई राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रमण कर सांस्कृतिक विविधता का अनुभव करेंगे और यह महसूस करेंगे कि भारत एक है।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" का उद्देश्य:

- हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का प्रचार करना और इसे बनाए रखना तथा हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधन के ताने-बाने को मजबूत करना।
- राज्यों के बीच एक वर्ष की अवधि वाली योजनाबद्ध भागीदारी द्वारा सभी भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बीच एक प्रगाढ़ और संरचित भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना।
- भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में लोगों को सक्षम करने के लिए समृद्ध विरासत एवं संस्कृति, रीति-रिवाज एवं परंपराओं को प्रदर्शित करना तथा इस प्रकार पहचान की समान भावना को बढ़ावा देना।
- दीर्घकालिक भागीदारी की स्थापना करना तथा ऐसे माहौल का निर्माण करना जो राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और अनुभवों को साझा कर सीखने को बढ़ावा देता है।

महत्व:

- एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार लोगों को बंधन और भाईचारे की स्वाभाविक डोर को आत्मसात करने में सक्षम बनाकर एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में मदद करेगा।
- यह योजना विभिन्न सांस्कृतिक विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र हेतु जवाबदेही और स्वामित्व की भावना प्रेरित करने में मदद करेगी।

निष्कर्ष:

यद्यपि इस योजना के विशिष्ट प्रावधानों के बारे में अभी भी अस्पष्टता है लेकिन इसके विचार अत्यधिक प्रेरणादायक और दूरदर्शी लगते हैं। इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए सरकार ने राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने हेतु एक समिति का गठन किया है।

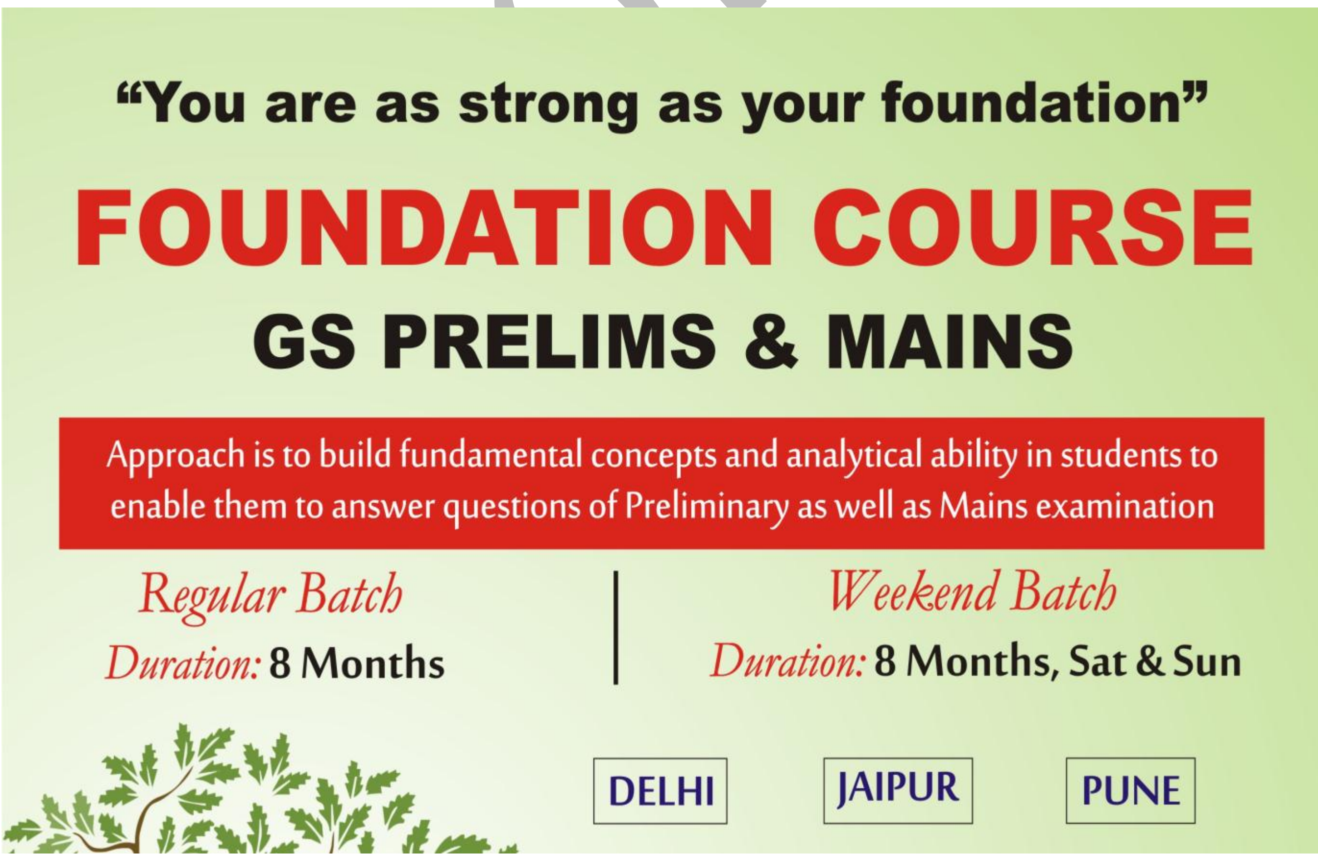

2. संविधान और संसद / राज्य विधायिका के कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दे

(ISSUES RELATED TO CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF PARLIAMENT/ STATE LEGISLATURE)

2.1 जनमत संग्रह की प्रासंगिकता और उपयुक्तता

(Relevance and Suitability of 'Referendum')

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहना चाहिए या नहीं पर ब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह, 52 प्रतिशत(72.2 प्रतिशत मतदाताओं ने प्रतिभाग किया) मतदान के साथ "नहीं बने रहना चाहिए" के पक्ष में 23 जून को संपन्न हुआ।
- हाल ही में कोलम्बिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बलों (FARC) के साथ समझौते की पुष्टि करने के लिए **कोलंबिया सरकार** द्वारा घोषित **2 अक्टूबर जनमत संग्रह** का परिणाम 50.3 प्रतिशत वोट, जिसमें लगभग 38 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया, के साथ "नहीं" के पक्ष में प्राप्त हुआ।
- पिछले वर्ष **स्कॉटलैंड के ब्रिटेन में रहने पर एक जनमत संग्रह** में, स्कॉटलैंड ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए निर्णय किया।

जनमत संग्रह क्या है?

- जनमत संग्रह, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है जहाँ नागरिक को प्रतिनिधियों, जो उनके स्थान पर कार्य करते हैं, हेतु मतदान करने के बजाय विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे मतदान करने का मौक़ा मिलता है।
- इन्हें विशेष रूप से आधुनिक राज्यों में एक बेहतर लोकतांत्रिक साधन माना जाता है। जहां लोगों की निर्णय लेने में एक बेहतर भूमिका होती है।

क्या यह एक सही लोकतांत्रिक उपकरण है?

सम्पूर्ण विश्व में विशेष रूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों में जनमत संग्रहों की स्वीकृति में वृद्धि के आलोक में, भारत में भी जनमत संग्रहों की मांग आरम्भ हो गयी है ।

पक्ष में तर्क:

- यह सच्चे लोकतंत्र का एक रूप है, क्योंकि यह सीधे लोगों को शक्ति प्रदान करता है।
- जनमत संग्रह, कठिन विधायी निर्णयों को वैधता प्रदान करने में सहायक होते हैं क्योंकि इसके बिना कोई भी अलोकप्रिय निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है।
- जनमत संग्रहों की बढ़ती मांग(यूरोपीय संघ के 18 देशों में 32), विभिन्न मुद्दों पर लोगों की बढ़ती हताशा को प्रदर्शित करती है। इससे पहले यह हताशा, विरोध प्रदर्शन, विद्रोह और यहां तक कि हिंसा का रूप ले लिया करती थी। अब जनमत संग्रह द्वारा परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से लाया जा सकता है।

विपक्ष में तर्क:

- **बहुमत की निरकुंशता**: उदाहरण के लिए, वर्ष 2009 में स्विट्जरलैंड में मस्जिद मीनारों के निर्माण से सम्बंधित मुद्दे पर एक जनमत संग्रह में, लोगों ने इनके निर्माण के खिलाफ मतदान किया। इसका मुख्य कारण यह था कि लोगों का बहुमत इस बात के प्रति आश्वस्त था कि यह एक इस्लामी अतिक्रमण (Islamic invasion) है जबकि संपूर्ण देश में इनकी संख्या केवल 4 थी।
- यह जटिल प्रश्नों को सरल 'हाँ या नहीं' उत्तर देने तक सीमित कर देता है। साक्ष्यों के पर्याप्त समर्थन के बिना तर्क, लोकप्रिय भावनाओं और जनोत्तेजनाओं को गति देने के लिए के लिए पर्याप्त हैं जैसे की इस लोकप्रिय विचार कि प्रवासी उनकी आर्थिक कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार हैं, ने ब्रेक्ज़िट में वोट देने में भूमिका निभाई। हालांकि, इस तर्क का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था।
- अधिकांशत: मुख्य विधान, लोकप्रिय विचार के खिलाफ जा सकते हैं लेकिन निर्वाचित विधायक अपने ज्ञान के माध्यम से अपने निर्णयों को सही साबित कर सकते हैं जैसे: नस्लीय भेदभाव के खिलाफ; मौत की सजा खत्म करना इत्यादि।

VISION IAS

आगे की राह:

- ऐसे निर्णय जो न केवल वर्तमान पीढ़ी को अपितु आगामी पीढ़ियों को भी गहराई से प्रभावित करते हैं, को जल्दबाजी में या एक बार के जनमत संग्रहों के माध्यम से नहीं लिया जाना चाहिए।
- एक ऐसा तंत्र विकसित किया जा सकता है जोकि सार्वजनिक हस्ताक्षरों की एक बड़ी मात्रा पर आधारित चुनिंदा विधेयकों और अधिनियमों पर वोट करने की मांग पर जनमत संग्रहों को घोषित करता है। यह उपाय न केवल महत्वपूर्ण कानूनों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाता है बल्कि यह उन कानूनों के लिए लोकप्रिय मंजूरी प्राप्त करने का एक साधन बन सकता है। जैसे कि क्या जनता के कल्याण से सम्बंधित कानून जैसे आधारकार्ड को सामाजिक सेवाओं का लाभ उठाने के अनिवार्य बनाया जाना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न जनमत संग्रह में रखा जा सकता है।

2.2. राज्यसभा में संयुक्त समूह

(United Group in Rajya sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के उप-राष्ट्रपति ने 22 सांसदों के एक समूह को औपचारिक रूप से राज्यसभा में संयुक्त समूह के रूप में मान्यता प्रदान की। इनमें चार से कम सांसदों वाली पार्टियों से सम्बंधित और कुछ निर्दलीय सांसद शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संसद के इतिहास में यह तीसरी बार है जब ऐसे किसी समूह को मान्यता दी गयी है।
- 1983 में, पहली बार राज्यसभा के तत्कालीन सभापति द्वारा इस तरह के समेकित समूह को मान्यता दी गयी थी। इसे सदस्यों का संयुक्त संघ (**United Associations of Members**) नाम दिया गया था।
- 1990 में, राज्य सभा के तत्कालीन सभापति ने सांसदों के संगठित समूह को मान्यता प्रदान कर इसका संयुक्त समूह(United Group) के रूप में पुनर्नामिकरण किया था।

निर्णय के निहितार्थ

- यह संयुक्त समूह कांग्रेस और भाजपा के बाद राज्यसभा में सांसदों का तीसरा सबसे बड़ा समूह होगा।
- इस समूह को कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee (BAC)) में स्थान प्राप्त होगा। यह समिति समय आवंटन का निर्णय करती है।
- पार्टियों के लिए किसी मुद्दे पर बहस या बात करने के लिए आवंटित समय सदन में उनकी संख्या पर निर्भर करता है। अभी तक अपनी कम संख्या के चलते इस समूह के सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए महज़ तीन मिनट का समय मिल पाता था। अतः इस तरह के समूह के निर्माण से राज्यसभा में विभिन्न मुद्दों पर बेहतर वाद-विवाद और सभी सदस्यों के विचारों का समावेशन संभव हो सकेगा।

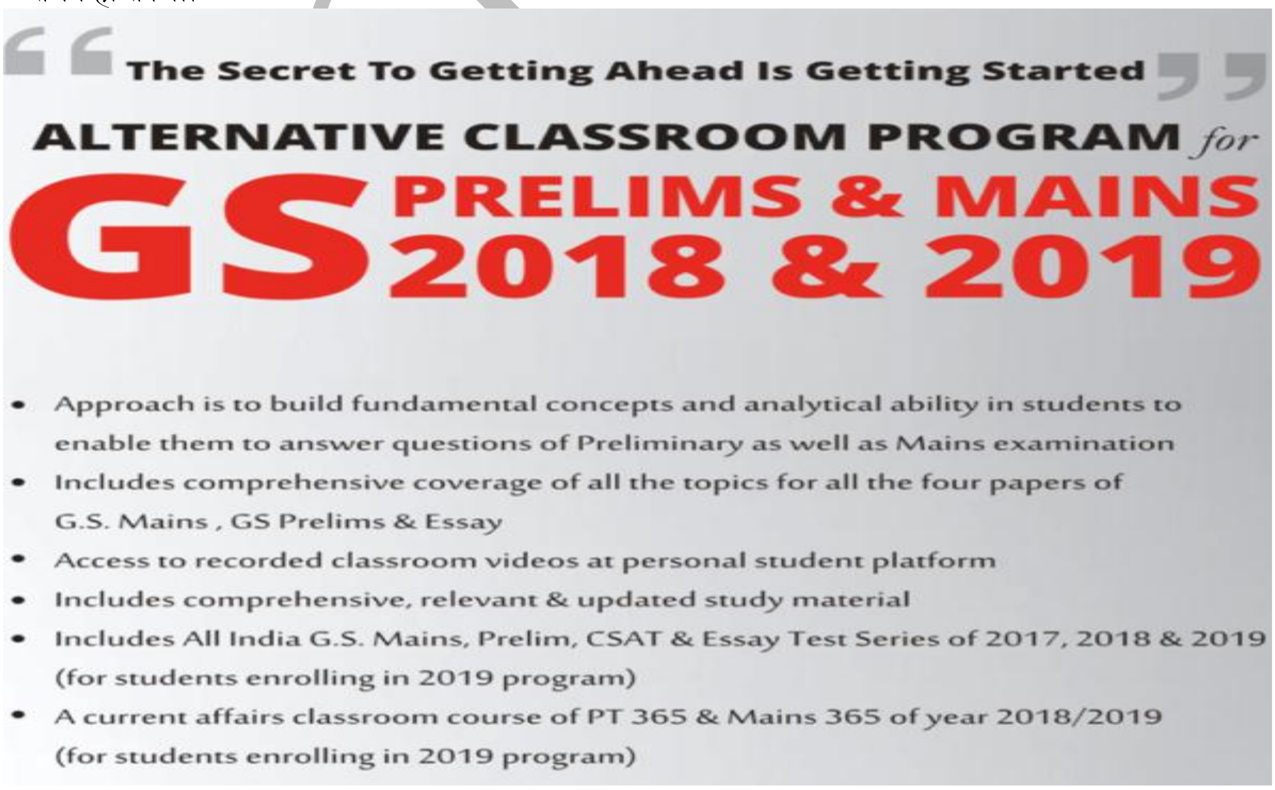

3. न्यायपालिका

(JUDICIARY)

3.1.चयन का अधिकार

(Right to choose)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, *बिहार राज्य बनाम भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ* (2016) मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में मादक पदार्थों पर लगाए गए 'निषेध' को असंवैधानिक करार दिया।

पृष्ठभूमि

- बिहार सरकार ने बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के तहत एक अधिसूचना जारी कर एल्कोहल के निर्माण, बिक्री और वितरण तथा साथ ही इसके उपभोग या संग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- इसके साथ ही इसके द्वारा ऐसे मामलों में अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाल दी गयी। यह पूर्व प्रचलित विधि के विपरीत है।
- हालांकि उच्चतम न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी तथा बिहार में एक कठोर निषेध कानून को बनाए रखने की अनुमति दी।

पटना उच्च न्यायालय के फैसले का महत्व

- इस मामले में पहली बार एक संवैधानिक न्यायालय ने इस प्रकार की निषेधाज्ञा द्वारा एक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रश्न को संबोधित किया।
- इसका अर्थ यह है कि ये बहस सिर्फ निर्माताओं और डीलरों के व्यापार करने के अधिकार के बारे में नहीं थी, अपितु इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न भी निहित है।

चयन की स्वतंत्रता के विषय में उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में उठने वाले मुद्दे

- अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण काफी हद तक चतुर्थ भाग में निहित सामाजिक आर्थिक अधिकारों को समाहित करने पर आधारित है। लेकिन यह किसी व्यक्ति के अच्छे जीवन को निर्धारित करने में उसके स्वयं के निर्णय के अधिकार पर ध्यान नहीं देता।
- उच्चतम न्यायालय द्वारा कई बार चयन के अधिकार का उल्लेख तो किया गया है, परंतु उसकी एक निश्चित संकल्पना नहीं निर्धारित की गयी है।

✓ उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय ने *सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2014)* के मामले में नाज़ फाउंडेशन के इस तर्क पर विचार करने से भी इनकार कर दिया कि LGBTQ समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के अपने अधिकार भी हो सकते हैं।

✓ यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद आया था जिसमें स्वैच्छिक समलैंगिक संबंधों को इस आधार पर विधिमान्य माना गया था कि इस पर रोक लगाने का अर्थ व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जोकि व्यक्ति के जीवन के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। यहाँ निजता के अधिकार का अर्थ विशेष रूप से यौन सहभागी के चयन के सन्दर्भ में निर्धारित किया गया है।

चयन का अधिकार व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जिसका आशय है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े उसके निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि वो समाज के लिए कोई रूकावट उत्पन्न नहीं कर रहा/रही हो।

चयन के अधिकार से सम्बंधित अन्य निर्णय

- बंबई उच्च न्यायालय ने *शेख जाहिद मुख्तियार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016)* के मामले में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि ये व्यक्ति के अपने निजी जीवन में अपनी रूचि के भोजन का उपभोग करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- बंबई उच्च न्यायालय ने *उच्च न्यायालय के स्वयं के प्रस्ताव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2016)* के मामले में यह निर्धारित किया कि

VISION IAS

किसी महिला को 'चयन (choice)' के आधार पर उसे गर्भपात करवाने का विधिक अधिकार प्राप्त है, भले ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 केवल इस आधार पर गर्भपात की अनुमति देता है कि गर्भावस्था महिला के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

आगे की राह

- कानून के शासन और मौलिक अधिकारों के अंतिम न्यायकर्ता के रूप में अपनी भूमिका में, सुप्रीम कोर्ट कोअनुच्छेद 21 के संबंध में अपने पूरे दृष्टिकोण को फिर से परखने का उपयुक्त समय आ गया है।
- उदाहरण के लिए, यह इस मुद्दे पर, चयन के अधिकार को सार्थक जीवन जीने की आवश्यकता के रूप में समझ कर एक अधिक सरल दृष्टिकोण अपना सकता है।

3.2. सिंगूर भूमि परियोजना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

(SC Decision on Singur Land Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि सिंगूर परियोजना के लिये किये गये भूमि अधिग्रहण को **"जनहितकारी" नहीं कहा जा सकता है"** और इसलिए भूमि को 12 सप्ताह के भीतर किसानों को वापस किया जाना चाहिए।

प्रकरण का घटनाक्रम:

- **वर्ष 2006** में यह घोषणा की गयी थी कि टाटा मोटर्स अपने नैनो मॉडल के उत्पादन के लिए एक कार उत्पादन इकाई की स्थापना करेगी जिसके लिए उसे लगभग 1000 एकड़ भूमि का आंवटन किया जायेगा।
- **वर्ष 2008** में सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के **"सर्वोपरि अधिकार सिद्धांत और अत्यावश्यक अनुच्छेद (eminent domain principle and urgency clause)"** के तहत टाटा मोटर्स की नैनो फैक्ट्री के निर्माण के लिए कोलकता से 40 कि.मी. दूर सिंगूर में 997 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया।
- परियोजना के लिए बलपूर्वक भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन हुए।
- यह एक विवादित मुद्दा बन गया क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा कृषियोग्य भूमि का बलपूर्वक अधिग्रहण किया जा रहा था।
- **वर्ष 2008** में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस अधिग्रहण को जनहित में और सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस बीच टाटा समूह ने कानूनी पचड़ों से बचने के लिए अपनी नैनो परियोजना को पश्चिमी बंगाल से गुजरात स्थानांतरित कर दिया।
- **वर्ष 2016** में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपील पर इस निर्णय को पलट दिया और 12 सप्ताह के भीतर किसानों को उनकी भूमि वापस करने का आदेश पारित किया।

भविष्य में होने वाले भूमि अधिग्रहणों पर इसका प्रभाव:

- यद्यपि यह एक इकलौता प्रकरण है और संभवतः भारत में व्यापक स्तर पर इसका प्रभाव न पड़े, परन्तु अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के विकास पर और भूमि अधिग्रहण पर इसका कोई दुष्प्रभाव होगा।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में विकास की तुलना में व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक महत्त्व दिया गया है।
- सरकार और कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण को सरल बनाने के लिए सम्भाव्य भूमि सुधार संशोधनों का अब अधिक विरोध किया जायेगा।
- इस निर्णय ने अब एक दृष्टान्त स्थापित कर दिया है। जनहित में भूमि अधिग्रहण के लिए अब उससे होने वाले लाभों को सिद्ध करना होगा।

'सर्वोपरि अधिकार का सिद्धांत'

किसी संप्रभु सरकार द्वारा व्यक्तिगत सम्पति को बिना भू-स्वामी की सहमति के जनहित में, न्याययुक्त मुआवजे के भुगतान के पश्चात, अधिग्रहीत करने का अधिकार या शक्ति ही सर्वोपरि अधिकार है।

VISION IAS

4. शासन / पारदर्शिता / जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू

(IMPORTANT ASPECTS OF GOVERNANCE/ TRANSPARENCY/ ACCOUNTABILITY)

4.1. सिविल सेवा में सुधार

(Civil Service Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में "इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीट्स बिग डेटा" शीर्षक के अंतर्गत एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट सरकार द्वारा तत्काल सुधार लाए जाने की आवश्यकता पर केंद्रित है।

चुनौतियां

- **भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की कमज़ोर स्थिति**
- ✓ सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा कहीं भी अपनी उच्चतम क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है। राजनीतिक सलाहकारी संस्था (political consultancy) की नयी रिपोर्ट ने भारतीय नौकरशाही को एशिया में सर्वाधिक अकुशल श्रेणी में रखा है।
- ✓ इस क्षेत्र में कैरियर में उन्नति हेतु प्रतिकूल प्रोत्साहन, विशेषीकृत दक्षता की कमी एवं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है।
- **मानव पूँजी में गिरावट**
- ✓ निरंतर आकर्षक होते जा रहे निजी क्षेत्र के अवसरों से दूर कर युवा प्रतिभाओं को लुभाने का प्रयास करना सरकार को कठिन प्रतीत हो रहा है।
- ✓ निरंतर बढ़ती औसत आयु एवं उन्नत शैक्षणिक योग्यता की कमी के मध्य सम्बन्ध का निहितार्थ यह है कि अनेक उम्मीदवार 20-30 वर्ष की आयु के अधिकांश वर्ष संभ्रांत सिविल सेवा की तैयारी करने एवं प्रवेश परीक्षायें देने में व्यतीत कर देते हैं।
- **सुवतंत्रता में कमी**
- ✓ राजनीतिक हस्तक्षेप की अत्यंत व्यापक संस्कृति।
- ✓ पदों की औसत अविध का कम होना। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में यह अवधि छह माह जितनी कम है।
- **उन्नति के लिए प्रोत्साहनों की कमी**
- ✓ महत्वपूर्ण पदों को भरने में वरिष्ठता के प्रति पूर्वाग्रह, उच्च स्तरीय कार्य निष्पादन करने वाले अधिकारियों की तेजी से पदोन्नति प्राप्त करने की योग्यता को कम कर देता है। यहाँ तक कि कई बार घटिया कार्य-निष्पादन करने वाले अधिकारियों को भी पदोन्नति प्राप्त हो जाती है।
- **विशेषज्ञता की कमी**
- ✓ कुछ विशेषज्ञों ने प्रश्न उठाये हैं कि, ऐसा विश्व जो निरंतर जटिल होता जा रहा है तथा जहाँ क्षेत्र से संबंधित ज्ञान अधिक मूल्यवान हो गया है, ऐसे में क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा विशेषज्ञता आधारित ना होकर केवल अनेक विषयों की सामान्य जानकारी रखने वाली सेवा बनी रह सकती है।
- **भ्रष्टाचार**
- ✓ स्थानीय राजनीतिक हस्तक्षेप, ऐसे ईमानदार अधिकारी को भी भ्रष्ट व्यवहार की ओर प्रवृत्त कर सकता है, जो संभवत: दंड के भय से अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाने वाली संदिग्ध मांगों को पूरा करने के लिए विवश हो।
- ✓ इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रक का अप्रतिस्पर्धात्मक वेतन ढाँचा अधिकारियों को पदासीन होने के दौरान अतिरिक्त धन कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **यथास्थितिवादी अभिवृत्ति:** वर्तमान भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की ओर से सिविल सेवा में सुधार का कड़ा विरोध।

सिविल सेवा के लिए सुधार का एजेंडा :

- **स्थानांतरण एवं इच्छित पोस्टिंग:** यह अनिवार्य है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के संस्थान, सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित मनमाने ढंग से स्थानांतरण के विरुद्ध सुरक्षित करने हेतु सुरक्षा उपायों को सूत्रबद्ध करें।
- **डेटा**: अधिकारियों को उनके कैरियर के आरम्भ में नियुक्त करने के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) को सिविल सेवकों की योग्यताओं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण से संबंधित डेटा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे-जैसे अधिकारियों को अनुभव प्राप्त होता जाये, उसी के अनुसार प्रदर्शन मेट्रिक्स उनकी पदोन्नति एवं आवंटन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में सूचना दे सकती है।

VISION IAS

- **<u>सेवा से पार्श्विक निकास</u>**: कॅरियर के किसी विशिष्ट न्यूनतम मानदंड के आधार पर कार्यप्रदर्शन की समीक्षा की पारदर्शी और एक समान प्रणाली द्वारा आगे सेवा हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी प्रस्ताव के विषय में सरकार को विचार करना चाहिए।
- **<u>राज्य कैडर</u>**: राज्य और केन्द्र सरकारों को चर्चा करनी चाहिए कि क्या राज्य कैडर को स्थानीय IAS अधिकारियों के अनुपात में वृद्धि करने एवं उनके सापेक्ष प्रदर्शन का पता लगाने हेतु प्रयोग करने की अधिकाधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या नहीं।

4.2. RTI में सुधार

(Improvement in RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) अब एक ई-कोर्ट की भांति कार्य करेगा। सभी फाईलें डिजिटल रूप से संचालित होंगी और सितम्बर 2016 से आवेदक को उसके प्रकरण की सुनवाई के सम्बन्ध में SMS और ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

  RTI की नई विशेषताएँ:

- सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत किसी शिकायत या अपील के दायर होने पर पर रियल टाइम प्रगति (real time update) उपलब्ध कराना।
- जैसे ही एक RTI आवेदक एक अपील या एक शिकायत दायर करेगा/करेगी, उसे एक पंजीकरण क्रमांक दिया जायेगा तथा उसके प्रकरण और उस पर हुई प्रगति की सूचना उसके ई-मेल और मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएगी।
- तत्पश्चात, उसका प्रकरण तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्बन्धित सूचना आयुक्त के लेखागार में स्थानांरित हो जायेगा।
- अब तक CIC की 1.5 लाख फाइलों को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में परिवर्तित कर दिया गया है।
- आयोग, शिकायतों और अपीलों को एक दूसरे से अलग करने में सक्षम हो जायेगा।

इन परिवर्तनों का प्रभाव:

- वर्तमान में RTI की सम्पूर्ण प्रक्रिया कुछ दिन का समय लेती है परन्तु इन परिवर्तनों के क्रियान्वयन के पश्चात यह प्रक्रिया कुछ घण्टों में हो जाएगी।
- इससे सुनवाई में तेजी आएगी और अधिक सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी।
- इस सुविधा से न केवल आवेदकों को लाभ होगा, अपितु सूचना आयुक्त भी प्रकरणों का निपटान शीघ्रता से करेंगे।
- इन परिवर्तनों से एक ही व्यक्ति की विभिन्न अपीलों पर सुनवाई एक ही दिन में हो सकेगी।
- एक दिन में अधिक प्रकरणों का निपटान होने से अप्रत्यक्ष रूप से विचाराधीनता (pendency) में कमी आएगी।

4.3. पुलिस सुधार

(Police reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने *<u>यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ एवं अन्य</u>* मामले में पुलिस के लिए स्व-प्रेरणा या किसी शिकायत के आधार पर तैयार की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है।

राज्यों द्वारा विधान: जैसे कि 1951 का बम्बई पुलिस अधिनियम, केरल में 1960 के केरल पुलिस अधिनियम द्वारा, कर्नाटक में 1960 के कर्नाटक पुलिस अधिनियम द्वारा, दिल्ली में 1978 के दिल्ली पुलिस अधिनियम द्वारा इत्यादि। किन्तु इनमें से सभी अभी भी 1861 के पुराने विधान के पैटर्न पर ही थे एवं उन्होंने 'लोकतांत्रिक पुलिस' की आवश्यकता की उपेक्षा की।

पृष्ठभूमि

- पुलिस प्रणाली एक औपनिवेशिक विरासत है: पुलिस अधिनियम 1861 में प्रबंधकीय दर्शन निहित है जो संगठन में निचली श्रेणी के व्यक्तियों पर अविश्वास पर आधारित था।
- लेकिन अधिकतर राज्य कुछ संशोधनों के साथ पुराने भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 का अनुपालन कर रहे हैं।

VISION IAS

- **राज्य सूची** (भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की द्वितीय सूची) **के अंतर्गत पुलिस एक विशिष्ट विषय** है।
- राजनीतिकरण एवं सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठा के उच्च स्तर के कारण पुलिस सांसदों और विधायकों का 'विषय' बन गयी है।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

1979 और 1981 के मध्य की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय पुलिस आयोग (NPC) ने आठ रिपोर्ट्स प्रस्तुत कीं। इनकी प्रमुख अनुशंसायें, गैरकानूनी राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप से पुलिस को बचाने में आने वाली समस्याओं पर केन्द्रित थीं।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के लाभ

- अभियुक्त की रक्षा -

✓ अब वह जानता/जानती है कि किसी प्राथमिकी (FIR) में उसका नाम दर्ज है।

✓ उसे स्वयं पर लगाए गए अभियोग का आधार निर्मित करने वाले आरोपों की भी जानकारी होगी।

- यह स्टेशन हाउस के अधिकारियों के लिए अपराध की उपेक्षा करना कठिन बनाता है, जो अपराधी की सहायता करने की दृष्टि से अपनाया जाने वाला सामान्य व्यवहार है।
- अपराध में होने वाली वृद्धि को छिपाने के प्रयोजन से पुलिस आँकड़ों में की जाने वाली हेर-फेर को कठिन बना देता है।
- दो मुद्दे: राष्ट्रीय सुरक्षा और साथ ही साथ नागरिक की निजता की रक्षा करने की आवश्यकता; एवं पंजीकरण के 48 घंटों के बाद ही प्राथमिकियों (FIRs) को अपलोड करने संबंधी निर्देश को कार्यान्वित करने की तकनीकी व्यवहार्यता। आदेश के अनुसार, कथित अपराध यौन हिंसा या राष्ट्रीय सुरक्षा, उग्रवाद या आतंकवाद से संबंधित होने की दृष्टि से संवेदनशील होने पर निर्देश का अनुपालन करने में छूट प्राप्त होगी।
- यह प्राथमिकी दर्ज करवाने से संबद्ध भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करेगा।

<u>प्रकाश सिंह के मामले में दिए गए सात निर्देश:</u>

संक्षेप में सात निर्देश

निर्देश एक

निम्नलिखित प्रयोजन के लिए राज्य सुरक्षा आयोग (SSC) की स्थापना करता है:

i. यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दवाब का प्रयोग न करे।

ii. व्यापक नीति दिशानिर्देश निर्धारित करे एवं

iii. राज्य पुलिस के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करे।

निर्देश दो

यह सुनिश्चित करना कि DGP की नियुक्ति श्रेष्ठता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया से हो एवं वह न्यूनतम दो वर्ष का सुनिश्चित कार्यकाल प्राप्त करे।

निर्देश तीन

यह सुनिश्चित करना कि संचालनात्मक कर्तव्यों पर नियुक्त अन्य पुलिस अधिकारी (पुलिस अधीक्षक, जिले एवं स्टेशन हाउस का इन-चार्ज एवं अधिकारी, पुलिस स्टेशन का इन-चार्ज) को भी न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया जाये।

निर्देश चार

पुलिस के जांच और कानून एवं व्यवस्था के कार्यों को अलग-अलग करना।

निर्देश पाँच

उप पुलिस अधीक्षक एवं उससे कम श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, प्रोन्नतियों एवं सेवा संबंधी अन्य मामलों पर निर्णय करने एवं उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से ऊपर के अधिकारियों की पोस्टिंग एवं स्थानांतरण पर अनुशंसा करने के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड (PEB) की स्थापना करना।

निर्देश छह

राज्य स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा (custody) में मृत्यु, गंभीर चोट या बलात्कार इत्यादि गंभीर कदाचार के मामलों में जनता की शिकायतों के संबंध में पूछताछ करने एवं जिले स्तर पर उप पुलिस अधीक्षक से निम्न श्रेणी के पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध गंभीर कदाचार के मामलों में जनता की शिकायतों के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस शिकायत प्राधिकरण (PCA) की स्थापना करना।

VISION IAS

निर्देश सात

केन्द्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों (CPO) के चयन एवं न्यूनतम 2 वर्ष के कार्यकाल हेतु पोस्टिंग के लिए पैनल तैयार करने हेतु लिए संघीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग (NSC) की स्थापना करना।

पुलिस सुधारों का महत्व

- वर्तमान में देश जिन तीन सबसे बड़ी समस्याओं से प्रभावित है, वे निम्न हैं:
  - ✓ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती,
  - ✓ मध्य भारत के विशाल क्षेत्रों पर माओवादी प्रभाव का प्रसार।
  - ✓ भ्रष्टाचार का कैंसर।

POLICE STORY

On an average, 120 FIRs were filed against policemen between 2006 and 2015, according to NCRB data

Year	Rights violation by police	FIRs registered	Charge-sheeted	Convicted
2013	33,154	178	18	0
2014	35,214	108	33	3
2015	35,831	94	34	0

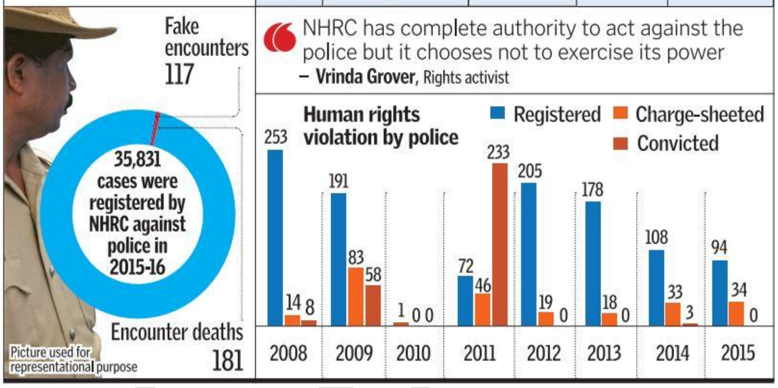

- इन समस्याओं से निपटने के लिए हमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सुसज्जित, अत्यधिक प्रेरित एवं देश के कानून एवं देश के संविधान को परिपुष्ट करने वाले एक पेशेवर पुलिस बल की आवश्यकता है।
- किसी आतंकवादी घटना या माओवादी हिंसा की स्थिति में पुलिस बल ही सबसे पहले अनुक्रिया करते हैं और वे हमारी खुफिया जांच एवं भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों का मेरुदण्ड भी हैं।
- यदि हम सुरक्षित और निश्चिन्त वातावरण उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हैं तो आर्थिक प्रगति को संधारित नहीं किया जा सकता।
- यदि हम सार्वजनिक जीवन में अपराधियों द्वारा प्रभुत्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं करते तो लोकतांत्रिक संरचना भी चरमरा सकती है।

समस्यायें

- राजनीतिक हस्तक्षेप
- आंतरिक और बाह्य जवाबदेही की कमी। (**थॉमस समिति ने** दर्शाया है कि लगभग सभी राज्यों ने ***प्रकाश सिंह मामले में दिए गए निर्देशों*** की उपेक्षा की है।)
- संख्यायें: पुलिस-जनसंख्या का वैश्विक औसत अनुपात 270:1,00,000 है, जबकि भारत में यह 120 है। तुलनात्मक रूप से पुलिस बलों की कम संख्या, उनके अप्रशिक्षित, साधनहीन होने एवं अधिकांश को राजनेताओं की सुरक्षा में नियुक्त किए जाने के कारण भारत के लोग विश्व में सबसे कम सुरक्षित (सर्वाधिक सुभेद्य) हैं।
- **आपराधिक जांच**: पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण, लेकिन बुरी तरह से उपेक्षित पहलू आपराधिक जांच है। पिछले कुछ वर्षों में इसके मानदण्ड तेजी से गिरे हैं।
- **मानव अधिकार उल्लंघन**:
  - ✓ क्षतिपूर्ति की राशि सार्वजनिक धन से दी जाती है, इस प्रकार मामले में संलिप्त पुलिस वाले पर कोई भार नहीं पड़ता है।
  - ✓ दोषसिद्धि की घटनायें बहुत कम हैं। 2006-2015 के बीच 10 में से सात वर्षों के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन लिए एक भी पुलिस वाले की दोष सिद्धि नहीं हुई।
- निवारक खुफिया जानकारी का संग्रहण एवं विश्लेषण:
  - ✓ विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा को निरंतर चुनौती प्रस्तुत करने वाले आतंकवादियों और विद्रोहियों से संबंधित।
- रिक्तियाँ:
  - ✓ केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एवं प्रवर्तन निदेशालय में निरंतर बड़ी मात्रा में रिक्तियाँ बनी रहना।
- पुराने हथियार और उपकरण: जैसा कि 26/11 के हमलों में देखा गया।
- उचित प्रशिक्षण का अभाव।

पुलिस के लिए जवाबदेही तंत्र:

आंतरिक जवाबदेही तंत्र: *1861 का पुलिस अधिनियम*, राज्य सरकार के पुलिस अधिनियम एवं राज्य पुलिस नियमावलियों में निर्धारित नियम।

बाह्य जवाबदेही तंत्र

- न्यायपालिका
- *मानव अधिकार आयोग:* कदाचार के मामलों में पुलिस को जवाबदेह ठहराते हैं।
- *गैर-सरकारी संगठन एवं मीडिया।*

आगे की राह:

- पुलिस बल देश के लोगों को बेहतर सुरक्षा एवं संरक्षण देने, उनके मानव अधिकारों को परिपुष्ट करने एवं आमतौर पर शासन में सुधार करने के लिए हैं। देश के लोगों की शिकायतों का निस्तारण कुशल, ईमानदार और पूर्णतया पेशेवर पुलिस बल की स्थापना पर निर्भर है।
- इसलिए प्रधानमंत्री ने 30 नवम्बर, 2014 को, पुलिस महानिदेशकों के गुवाहाटी सम्मेलन में स्मार्ट पुलिस की अवधारणा निरूपित की। इस अवधारणा के अनुसार पुलिस बल को संवेदनशील, सचल, सावधान, विश्वसनीय एवं तकनीक की समझ रखने वाला होना चाहिए।
- सुधार पैकेज के अंतर्गत वैधानिक संस्थागत व्यवस्था की स्थापना भी अनिवार्य रूप से सिम्मलित होनी चाहिए।
- पुलिस बल को गैर-कानूनी बाह्य नियंत्रण से बचाने एवं उन्हें कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- पुलिस को कार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करने के बाद, अपनी गलतियों के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

जवाबदेही की वर्तमान व्यवस्था को अनिवार्यत: मजबूत किया जाना चाहिए एवं उसमें सुधार किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, पुलिस की कार्यप्रणाली की निगरानी करने एवं पुलिस के विरूद्ध जनता की शिकायतों के संबंध में पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले नए तंत्र की स्थापना अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए।

4.4. सेना से जुड़े समता सम्बन्धी मुद्दे

(Parity Issues Related to Army)

मुद्दे के विषय में: सेना में दो प्रकार की असमानताएँ होती हैं:

- कॉम्बैट अधिकारियों और नॉन-कॉम्बैट अधिकारियों के बीच
- सैन्य और असैन्य अधिकारी

कॉम्बैट बनाम नॉन-कॉम्बैट अधिकारी

- लॉजिस्टिक्स, इंजीनियर, सिग्नल इत्यादि जैसी सहायक सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति कॉम्बैट सेवाओं के अधिकारियों के समान नहीं होती है।
- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, कॉम्बैट सहायक सेवाओं के उन 141 अधिकारियों में प्रत्येक को 20000 रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने का आदेश सेना को दिया जिन्हें शीर्ष न्यायालय के फैसले के बावजूद लगातार पदोन्नति से वंचित रखा गया था।
- यह मामला 2009 में सेना द्वारा स्थापित एक भेदभावपूर्ण पदोन्नति नीति से सम्बंधित है, जिसे सर्वोच्च न्यायलय ने सेना के दो अंगों - इन्फेंट्री और आर्टिलरी- के सम्बन्ध में सेना के निर्णयों को पक्षपात पूर्ण पाया था। इस नीति के निर्धारण के दौरान इन दो अंगों के अधिकारियों का उस समय निर्णय निर्माण में वर्चस्व था।

आगे की राह

- एक ऐसी स्थिति से बचने की आवश्यकता है जहां कम पदोन्नति के कारण अधिकारी लॉजिस्टिक्स सेवा में कार्य करने से इन्कार कर दें।
- इसके अलावा, एक कम मेधावी अधिकारी को दूसरे अधिकारी पर वरीयता केवल इस तथ्य के आधार पर नहीं दी जानी चाहिए कि वह अधिकारी कॉम्बैट अंग से जुड़ा है। यह मेरिटोक्रेसी आधारित तंत्र के विरुद्ध है।

सैन्य बनाम असैन्य अधिकारी

- अधिकारियों के वेतन और भत्ते में काफी असमानता है। उदाहरणार्थ, सेना के एक ब्रिगेडियर और पुलिस के DIG के वेतन और स्थिति में अंतर तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग (CPC) के बाद से लगातार कम हुआ है। वर्तमान में, सातवें CPC की सिफारिशों के अनुसार, ब्रिगेडियर के भत्तों को DIG के भत्ते से नीचे रखा गया है। जबकि सच तो यह है कि सेना के अधिकारियों में केवल 5% ही ब्रिगेडियर बन पाते हैं और वह भी 26 वर्षों की सेवा के बाद जबकि केवल 14 वर्षों की सेवा के बाद ही लगभग 90% से अधिक IPS अधिकारी DIG के रूप में पदोन्नत होते हैं।
- विकलांगता पेंशन, गैर-कार्यात्मक उन्नयन (non-functional upgrade) आदि के संबंध में भी इसी तरह के मुद्दे हैं।
- नागरिक सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारियों की कम अवधि की सेवाओं के बावजूद उनका अपने सैन्य समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करना, बहु-कैडर वातावरण में काम करने वाले सशस्त्र बलों के लिए कुछ परिचालानात्मक समस्याओं को जन्म देता है क्योंकि अक्सर असैन्य प्राधिकरण या अधिकारी उनकी बात सुनने से इन्कार कर देते हैं। यह सेनाओं के मनोबल को प्रभावित करता है और इसमें सुधार अवश्य किया जाना चाहिए।

सुझाव

- केन्द्रीय वेतन आयोग में सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को शामिल करना या सैन्य बलों के लिए एक अलग वेतन आयोग का गठन करना।
- नौकरशाही की तुलना में सैन्य बलों की स्थिति एवं कमान तथा नियंत्रण संबंधी मुद्दों में आये परिवर्तन की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए एवं इसे दुरुस्त करने के लिए एक समयबद्ध उपाय सुझाए जाने चाहिए। यह कदम सेना को सम्मान देने और उन्हें उनका हक़ दिलाने के लिए आवश्यक है।
- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इस मामले के पुनरावलोकन का निर्णय लिया है।

4.5. बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016

(Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 1 नवंबर, 2016 से प्रभावी हो गया है।
- इसके बाद, मौजूदा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम को बेनामी संपत्ति का लेनदेन निषेध अधिनियम (PBPT Act) के नाम से जाना जाएगा।

पृष्ठभूमि

- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 में उचित कार्यान्वयन तंत्र की कमी, अपीलीय तंत्र का अभाव, जब्त संपत्ति को अधिकृत करने के लिए केंद्र के पास किसी प्रावधान का न होना जैसी कई कमियाँ थीं।
- वर्तमान सरकार ने जुलाई 2016 में संसद में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक अब संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आ गया है।

विधेयक की विशेषताएं

- **उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में बेनामी धन को स्थान देना तथा बेनामी संपत्तियों को ज़ब्त करना है तथा उन लोगों को दण्डित करना है जो इन संपत्तियों में शामिल रहे हैं।
- अधिनियम बेनामी लेनदेन को परिभाषित करता है, उसका निषेध करता है और PBPT अधिनियम के उल्लंघन के लिए 7 वर्ष तक की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान करता है।
- यह वास्तविक स्वामी द्वारा बेनामीदार से उस संपत्ति की पुनर्प्राप्ति पर भी प्रतिबन्ध लगाता है जिसे बेनामी संपत्ति घोषित किया गया है।
- सरकार द्वारा बेनामी घोषित की गई संपत्ति को बिना मुआवज़े का भुगतान किये ज़ब्त किया जा सकता है।
- **निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण** के रूप में PBPT अधिनियम के तहत एक अपीलीय तंत्र की व्यवस्था की गई है।
- निर्णायक प्राधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण को मनी लांड्रिंग निषेध अधिनियम, 2002 (PMLA) के प्रावधानों की समान तर्ज़ पर अधिसूचित किया गया है।

महत्व

- इस कानून का देश में रियल एस्टेट उद्योग पर दीर्घकालिक प्रभाव होगा।

- ✓ यह संपत्ति लेनदेन में सही नाम शामिल करने के व्यवहार को बढ़ाएगा और परिणामस्वरुप आवासीय बाजार में पारदर्शिता आएगी।
- ✓ कठोर कानून रियल एस्टेट की कीमतों को भी नीचे लाएंगे क्योंकि इस तरह के लेनदेन अक्सर नकदी से संपन्न निवेशकों द्वारा किये जाते हैं ताकि वे रियल एस्टेट में अपनी बेनामी संपत्ति को ठिकाने लगा सके।
- यह ऋणदाता बैंकों और निजी व्यक्तियों के आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा।

4.6. CPGRAMS प्रदर्शन के लिए पुरस्कार

(Award for CPGRAMS Performance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों / विभागों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया।

महत्व

- यह लोक शिकायतों के निवारण की दिशा में एक बड़ी पहल है, क्योंकि शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासनिक मशीनरी का अभिन्न अंग होता है।
- शिकायत निवारण तंत्र, दक्षता और प्रभावशीलता को मापने का पैमाना है क्योंकि यह प्रशासन की कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण फीडबैक देता है।
- लोक शिकायतों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में पांच गुना का इजाफा हुआ है, और कुल शिकायतों की संख्या 10 लाख तक पहुँच गई।
- पुरस्कार योजना द्वारा मंत्रालयों / विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ने से जनता की शिकायतों का समाधान होने की उम्मीद है।

CPGRAMS क्या है?

- CPGRAMS एक ऑनलाइन वेब सक्षम एप्लीकेशन है जो जनता की शिकायतों के शीघ्र निवारण को सुगम बनाता है। यह नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाता है।
- यह प्रणाली संबंधित मंत्रालय / विभाग / सरकारी संगठन की आवश्यकता के अनुसार कई स्तरों तक विस्तारित किये जाने हेतु पर्याप्त लचीला (flexible) है, जिससे शिकायतों का शीघ्र अग्रेषण और निवारण किया जा सके।
- लोक शिकायत पोर्टल पिछले कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित हुआ है:
- ✓ लोक शिकायत से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में सेवा देना तथा इन शिकायतों के निवारण की निगरानी करना।
- ✓ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और अपनी शिकायत की स्थिति का ट्रैक रखने हेतु नागरिकों को सक्षम बनाना।
- ✓ बिना किसी देरी के जाँच एवं कार्रवाई करने में मंत्रालयों / विभागों / संगठनों को सक्षम बनाना।
- ✓ संबद्ध मंत्रालयों / विभागों तक शिकायतों के भौतिक अग्रेषण को कम करना/ खत्म करना।

4.7. आधार से संबंधित विवरणों को साझा करने पर रोक

(Ban on Sharing Aadhaar Details)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने, जिन एजेंसियों के पास लोगों का आधार नंबर है, उन एजेंसियों को उस आधार नंबर को या उससे संबंधित जानकारी को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है ताकि उन विवरणों का गलत इस्तेमाल न हो सके।
- यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने इसके सम्बन्ध में आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचना जारी की है।
- बैंक विवरण के साथ कोर बायोमेट्रिक्स, जो कि फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन होते हैं, आधार में महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी का निर्माण करते हैं।

महत्वपूर्ण बातें:

- जिन एजेंसियों के पास आधार सम्बन्धी विवरण है, उन एजेंसियों को 12-अंकों वाले इस पहचान नंबर की **सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित** करना होगा।

VISION IAS

- UIDAI द्वारा एकत्रित किसी भी बायोमेट्रिक जानकारी को किसी भी कारण से **किसी के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता** है।
- एजेंसियों को आधार धारकों को उन उद्देश्यों के बारे में भी बताना होगा जिस उद्देश्य से उनके विवरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
- आधार अधिनियम के तहत, नामांकन के समय किसी आधार धारक की छद्म पहचान धारण करने, डेटा के साथ छेड़छाड़ करने और पहचान सम्बन्धी जानकारी का खुलासा करने जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया गया है।

4.8 ई-शासन पहलें

(Recent E-Governance Initiatives)

4.8.1 वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल

(Web Responsive Pensioner's Service Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्री ने **डिजिटल इंडिया** के तहत एक नई पहल 'वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल' की शुरुआत की है, जिसका उत्तरदायित्व महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा लिया गया है।

यह क्या है?

- इस पोर्टल से पेंशनभोगियों को पेंशन के मामलों तथा केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग एवं बैंक द्वारा संसाधित की जाने वाली पेंशन के भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- यह पोर्टल, शिकायत निवारण के लिए एक प्रभावी मंच की भी भूमिका निभाएगा।
- इसे केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है।

4.8.2. एम्प्लॉइज ऑनलाइन मोबाइल एप्प

(Employees Online Mobile App)

EO App कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह उपयोगकर्ता को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों एवं पद स्थापना (पोस्टिंग) तथा भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर पर रिक्तियों से वास्तविक समय (रियल टाइम) आधार पर अवगत रहने में सक्षम बनाएगा।

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एम्प्लॉइज ऑनलाइन (EO) मोबाइल एप्प का शुभारम्भ किया।

EO App की विशेषताएँ

- देश भर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी आसानी से अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, अचल परिसंपत्ति रिटर्न, पद स्थापन (पोस्टिंग), घरेलू और विदेशी प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में विवरण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे।
- EO App भारत सरकार में स्थानांतरणों और पद स्थापनों (पोस्टिंग) के संबंध में लगायी जाने वाली अटकलबाजियों को कम कर देगा।
- यह नागरिकों द्वारा सरकार संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रस्तुत किए जाने वाले सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों की संख्याओं को भी नियंत्रित करेगा क्योंकि अधिकतर विवरण वास्तविक समय (रियल-टाइम) आधार पर जनता के लिए ऑनलाइन रखे जाएँगे।

महत्व

- EO App अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की भावना के संगत है। यह पारदर्शिता एवं ई-शासन की दिशा में एक और कदम है।
- यह **तंत्र को पूर्ण रूप से पारदर्शी** बनाएगा क्योंकि सारे प्रासंगिक आदेश एवं अधिसूचनाएँ अब तत्काल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होंगी।

VISION IAS

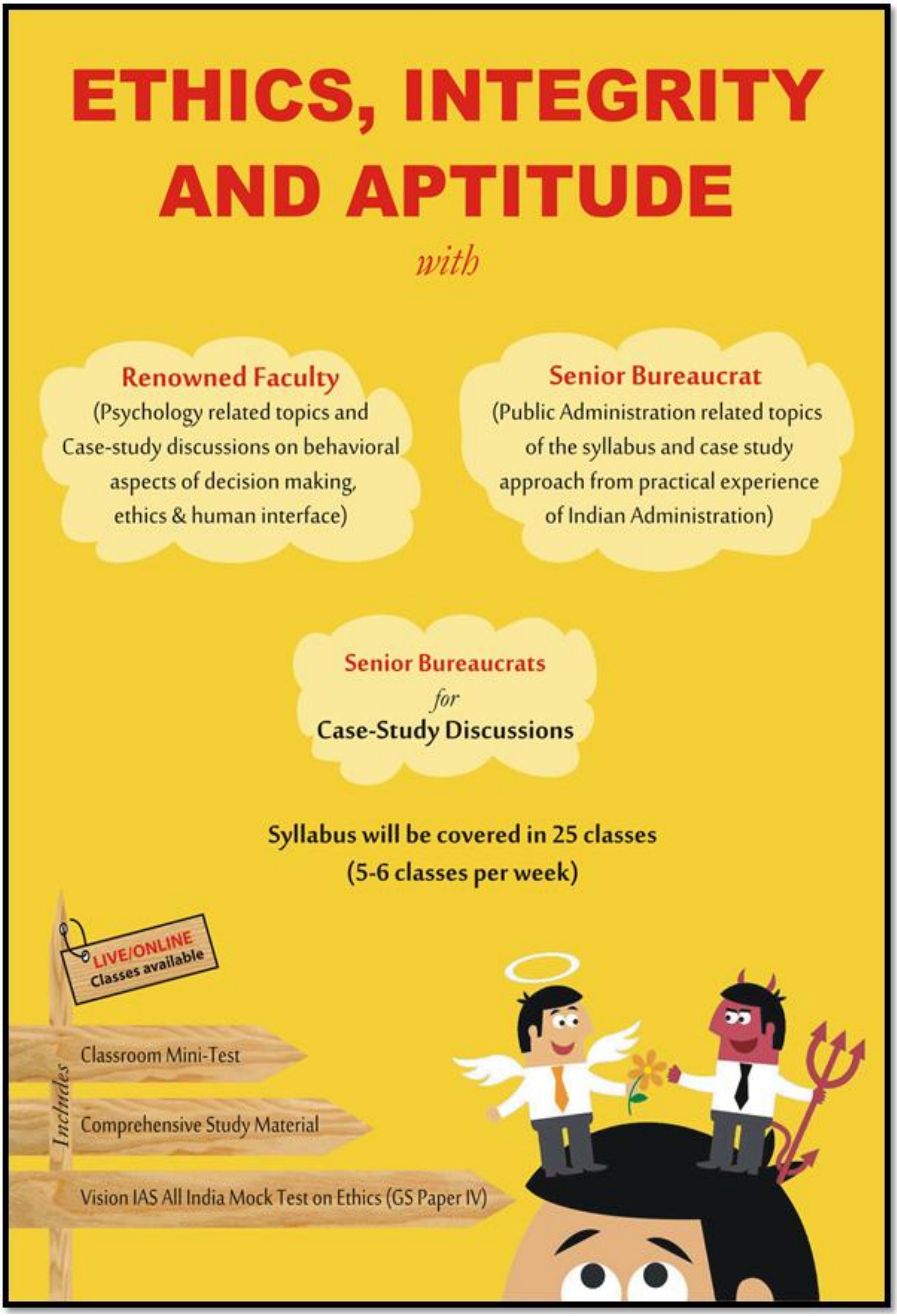
ETHICS, INTEGRITY AND APTITUDE
with
Renowned Faculty
(Psychology related topics and Case-study discussions on behavioral aspects of decision making, ethics & human interface)
Senior Bureaucrat
(Public Administration related topics of the syllabus and case study approach from practical experience of Indian Administration)
Senior Bureaucrats
for
Case-Study Discussions
Syllabus will be covered in 25 classes
(5-6 classes per week)
LIVE/ONLINE
Classes available
Includes
Classroom Mini-Test
Comprehensive Study Material
Vision IAS All India Mock Test on Ethics (GS Paper IV)

5. भारत में चुनाव

(ELECTIONS IN INDIA)

5.1. राष्ट्रीय दल की स्थिति की समीक्षा

(Review of Status of National Party)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया है। यह सातवाँ ऐसा दल बन गया है, जो पूरे देश में अपने चिन्ह पर लोक सभा और देश भर की विधान सभाओं में चुनाव लड़ सकता है।
- चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश में संशोधन किया गया।
- TMC ने चार राज्यों- **पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर** में तथाकथित राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की योग्यताओं को पूरा कर लिया है।

चुनाव आयोग (ECI) द्वारा हाल ही में किये गये परिवर्तन:

- चुनाव आयोग के संशोधित नियमों के अंतर्गत, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए किसी दल के एक चुनाव में प्रदर्शन के स्थान पर अब निरंतर दो लोकसभा या विधान सभाओं के प्रदर्शन पर विचार किया जायेगा।
- इन परिवर्तनों से 2014 के चुनावों में बहुत खराब प्रदर्शन करने वाले अन्य दलों को भी राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मान्यता बनाये रखने में सहायता मिली है।
- अन्य छह राष्ट्रीय दल हैं- भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।

राष्ट्रीय दल बनने के मानदंड:

एक राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी यदि:-

- उसे **चार** या अधिक राज्यों में लोक सभा या राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों में डाले गये वैध मतों का कम से कम **छह प्रतिशत** (6%) प्राप्त हुआ हो; और इसके साथ ही किसी एक राज्य या राज्यों से लोक सभा में कम से कम **चार** स्थान प्राप्त हुए हों। **अथवा**
- उसे लोक सभा में कम से कम **दो प्रतिशत** (2%) स्थान प्राप्त हुए हों (अर्थात 543 सदस्यों के वर्तमान सदन में 11 स्थान) और ये सदस्य कम से कम **तीन** विभिन्न राज्यों से चुन कर आये हों। **अथवा**
- दल को कम से कम चार राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई हो।

राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के क्या लाभ हैं?

- राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता से उसके प्रत्याशी पूरे देश में उसके आरक्षित चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजनीतिक दलों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के अधिकांश मतदाता अशिक्षित हैं और दलों की पहचान के लिए उन्हें चुनाव चिन्ह पर ही निर्भर रहना पड़ता है। एक अखिल भारतीय चुनाव चिन्ह होने से सम्भावित मतदाताओं तक पहुंच बनाने में सहायता मिलती है।
- राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और वह मतदाता सूची की दो प्रतियां निशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
- आम चुनावों के समय पर राष्ट्रीय दलों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सार्वजनिक प्रसारकों पर समर्पित समयावधि उपलब्ध होती है।
- एक राष्ट्रीय दल जहाँ अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों की सेवाएं ले सकता है, वहीं मान्यता-रहित दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों का ही नामांकन कर सकता है, जिनका यात्रा खर्च प्रत्याशी के व्यक्तिगत चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जायेगा।

5.2. धर्म एवं निर्वाचन

(Religion and Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ, वर्ष 1995 में दिए गए अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है, एवं इसने प्रश्न उठाया है कि क्या नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर धार्मिक अपील के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए मत याचना, भ्रष्ट चुनावी परिपाटी के समान नहीं है?

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ऐसे उपायों की खोज करने का प्रयास कर रहा है जिनके द्वारा चुनाव संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए जनसमूहों के धर्म या आस्था के दुरुपयोग को भ्रष्ट प्रथा के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।
- यह मतदान को प्रभावित करने के लिए किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय पर अपने प्रभाव का उपयोग करने को प्रवृत्त करने हेतु पुरोहितों एवं धर्माध्यक्षों को नियोजित करने से संबंधित राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों की चुनावी परिपाटियों पर भी ध्यान दे रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1995 के निर्णय में यह माना था कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अंतर्गत 'हिन्दुत्व' के नाम पर मत-याचना भष्ट चुनावी प्रथा नहीं है, क्योंकि हिन्दुत्व कोई धर्म नहीं बल्कि भारत में एक जीवन शैली है।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3) 'किसी उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मतदान करने या किसी किसी व्यक्ति के लिए मतदान करने से विरत रहने के लिए की जाने वाली अपील' को चुनावी अपराध मानती है।

महत्व

इसे 1995 के निर्णय को अप्रभावी क्यों करना चाहिए:

- धर्म के नाम पर मत प्राप्त करने का प्रयास करना हमारे लोकतंत्र में चुनावों की धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए इस प्रकार की बातों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किसी भी रंग एवं स्वरूप के रुढ़िवाद को कठोर उपायों के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- पीठ ने देखा कि "चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता एक मूलभूत विशेषता है।" इसलिए न्यायालय इसे वरीयता प्रदान करने के लिए विवश है।
- धर्म के नाम पर मत-याचना अल्पसंख्यकों, स्वतंत्र विचारकों, अनीश्वरवादियों इत्यादि को अलग-थलग कर सकती है एवं उनमें गहरी असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर सकती है।
- न्यायपीठ के एक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे के अनुसार, मतदाताओं को उनकी धार्मिक पहचान एवं प्रश्नगत उम्मीदवार की आस्था के बीच समानता ढूंढने या विभेद करने के लिए दवाब देकर प्रेरित किया जाता है।
- एकता एवं विविधता के विरुद्ध: 'हिन्दुत्व' शब्द को 'भारतीयता' के पर्यायवाची अर्थात् देश में विद्यमान सभी समकालीन संस्कृतियों के बीच भेदों को मिटाकर एक समान संस्कृति के विकास के रूप में प्रयोग किया जाता एवं समझा जाता है।

इसे यथास्थिति क्यों बनाए रखनी चाहिए

- **न्यायिक अतिक्रमण**: प्रावधान 123 (3) की समीक्षा संसद का अधिकार क्षेत्र है।
  - ✓ हिन्दुत्व को एक जीवन शैली निर्धारित किए जाने के पूर्ववर्ती निर्णय के विपरीत इस व्याख्या के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा अनभिप्रेत रूप से सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रिया की साफ-सफाई कर दी जा सकती है जो कार्य वस्तुत: संसद का कार्य है।
  - ✓ चुनावी प्रक्रिया जाति एवं धर्म के मुद्दों से अत्यधिक रूप से अंतर्संबधित है। इसलिए यह राजनीतिक प्रश्न है एवं संसद को स्वयं ही इसका समाधान करना है।
- **वास्तविकता के निकट:** जाति एवं धर्म को समाहित करने वाली लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक वास्तविकता है। इसे भ्रष्टाचार के रूप में निरूपित करना वास्तविकता के निकट नहीं हो सकता। इससे व्यापक स्तर पर इसकी अवहेलना हो सकती है। परिवर्तन क्रमिक रूप से वृद्धिशील होना चाहिए एवं यह परिवर्तन समाज से ही उत्पन्न होना चाहिए।
- **कई विसंगतियों को संसदीय विधानों की आवश्यकता है:** उदाहरण के लिए, धारा 123 इस विषय में मौन है कि क्या जैन या अनीश्वरवादी व्यक्ति धर्म के नाम पर वोट मांग सकता है।

आगे की राह

- भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हिन्दू धर्म के अंतर्गत भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। अपने राजनीतिक लाभों के लिए 'हिन्दुत्व' का दुरुपयोग करने के स्थान पर इसकी मूल भावना को समझा जाना चाहिए।
- हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश एवं मध्य-पूर्व के देश धार्मिक संघर्षों के कारण छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। उस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए, भविष्य में 'हिन्दुत्व' शब्द का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहिष्णुता एवं शान्ति के आधारभूत मूल्यों को हिन्दुत्व के मूलभूत मूल्य अवयवों के रूप में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए।

5.3. सशस्त्र बलों के लिए ई-डाक मतदान प्रणाली

(E-Postal Ballot System for Armed Forces)

- सीमा पर एवं सुदूर क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले सशस्त्र बलों के सेवाकर्मी चुनावों के दौरान अपने मूलनिवास क्षेत्रों में मतदान नहीं कर पाते हैं। डाक मतदान एवं प्रॉक्सी मतदान की वर्तमान प्रणाली अपर्याप्त एवं विलम्ब उत्पन्न करने वाली है।
- इससे पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय ने *नीला गोखले बनाम भारत संघ* (2013) के मामले में सरकार एवं चुनाव आयोग से इस मुद्दे का समाधान करने के लिए प्रभावी क्रियाविधि की खोज करने हेतु प्रयत्न करने को कहा था।
- इसके आलोक में, चुनाव आयोग ने ई-डाक मतदान प्रणाली प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत सेवाकर्मी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक रिक्त डाक मतपत्र प्रेषित किया जाएगा। वे इसके द्वारा मतदान कर सकेंगे एवं निर्वाचन अधिकारी को पोस्ट कर सकेंगे।
- यह एक–पक्षीय इलेक्ट्रॉनिक संचार, विलम्ब को कम करने में सहायक होगा।
- निर्वाचन आयोग द्वारा सुरक्षा एवं गोपनीयता के कारणों से द्विपक्षीय इलेक्ट्रॉनिक संचार की अनुशंसा नहीं की गयी है।

5.4. पार्टी के विज्ञापन हेतु सार्वजनिक धन का उपयोग करने पर चुनाव आयोग ने लगाई राजनीतिक दलों पर पाबंदी

(EC: Bar on Political Parties from Using Public Funds for Party Advertisement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा *सार्वजनिक ध्येय (कॉमन कॉज) बनाम बहुजन समाज पार्टी* के वाद में दिए गए आदेश का अनुसरण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने राजनीतिक दलों के लिए पार्टी से संबंधित विज्ञापन या अपने चुनाव प्रतीकों के प्रचार-प्रसार करने हेतु सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग न करने के निर्देश जारी किए हैं।
- निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन, चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) के पैरा 16ए के अधीन आयोग के वैध निर्देश का उल्लंघन माना जाएगा।
- यह उपबंध, आयोग को किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को आदर्श आचार संहिता या उसके वैध निर्देशों और अनुदेशों का पालन नहीं करने पर उसे निलंबित करने या उसकी मान्यता समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
- **चुनाव आयोग का तर्क:** यह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के साथ-साथ सभी हितधारकों के लिए समान अवसर के सिद्धांत के विपरीत है।

5.5. चुनाव आयोग की फेसबुक के साथ भागीदारी

(Election Commission Partners with Facebook)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- फेसबुक पहली बार देश में मतदाता पंजीकरण अभियान चलाने के लिए चुनाव आयोग एवं पांच चुनावी राज्यों (उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड) के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
- इससे पहले फेसबुक ने चुनाव के दौरान तमिलनाडु में 'तमिलनाडु शत-प्रतिशत' (पंजीकरण, मतदान और ईमानदारी-नैतिक मतदान में शत प्रतिशत) के नाम से अभियान चलाया था।

- फेसबुक एक बड़ा और अति महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि भारत में इसके 15 करोड़ सक्रिय मासिक उपयोगकर्ता हैं।
- यह प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लोकतंत्र को सशक्त करने का एक प्रभावी उपाय होगा।

इस पहल के संबंध में

- 'रजिस्टर टू वोट' बटन पांच राज्यों में होने वाले चुनावों हेतु यहां के नागरिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- 'रजिस्टर नाऊ' बटन पर क्लिक करने के पश्चात् लोगों को राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर भेजा जाएगा। वहाँ उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
- इन राज्यों के 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के फेसबुक उपयोगकर्ताओं को उनके न्यूज़फ़ीड में मतदान के लिए पंजीकृत होने का रिमाइंडर भेजा जाएगा।

VISION IAS

6. संवैधानिक विनियामकी एवं अन्य निकाय

(CONSTITUTIONAL, REGULATORY AND OTHER BODIES)

6.1. NGOs: नियंत्रक कानून की आवश्यकता

(NGOs: Need of Regulatory Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- देश में कार्यरत कुल 29.99 लाख NGOs को मिलने वाले धन को नियमित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय भारत के विधि आयोग से एक प्रभावशाली कानून लाने के लिए कहने जा रहा है।
- सरकार ने चार अमेरिकी NGO- आवाज, बैंक इन्फोर्मेशन सेंटर (BIC), सिएरा क्लब और 350.org के विरुद्ध कठोर कदम उठाये हैं। इससे पहले इसने ग्रीनपीस के विरुद्ध कार्यवाही की थी। ये घटनाक्रम जनवरी 2015 में हुए थे।
- हाल ही में सभी NGO को गृह मंत्रालय के अधीन लाने का प्रस्ताव आया था।

आवश्यकता

- इंटेलीजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट "विदेशी धन-प्राप्त कुछ चुनिन्दा NGOs द्वारा देश भर में चल रही भारतीय विकास परियोजनाओं को गिराने का संगठित प्रयास," में वर्ष 2014 में आरोप लगाया गया कि कई कथित विदेशी सहायता प्राप्त पर्यावरण NGOs पूरे देश की विकास परियोजनाओं को लक्षित कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों के कारण GDP के लगभग 2% तक की हानि हुई है।
- सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज किये गये CBI रिकाड्र्स से पता चलता है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कुल 29,99,623 NGOs में से केवल 2,90,787 ही अपना वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट्स दर्ज कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 82,250 NGOs में से केवल 50 ही अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
- NGOs पूरे विश्व से धन प्राप्त कर रहे हैं और इनमें कुछ शत्रु देश भी सम्मिलित हो सकते हैं।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने NGOs के "प्रतिनिधि वादकारी"(proxy litigant) और कम्पनियों के परस्पर विवाद या व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने हेतु एक मोहरा बनने पर चिंता व्यक्त की है।

NGOs का तर्क

- कुछ वर्ष पूर्व FCRA के अंतर्गत पंजीकरण करवाना सरल था, अब यह अत्यंत कठोर हो गया है।
- जहाँ तक धन-प्राप्ति की बात है, बड़े NGOs के समक्ष प्राय: कोई समस्या नहीं आती है, परन्तु छोटे NGOs के लिए यह कठिन होता है।
- अनेक NGOs ऐसे हैं, जिनका अस्तित्व केवल कागजों पर ही होता है। इस प्रकार के NGOs ने अन्य को बदनाम किया है, इसलिए कई क्षेत्रों में धन प्राप्ति के स्रोत समाप्त हो गये हैं।

आगे की राह

- कोई भी व्यक्ति एक सोसाइटी का पंजीकरण करवाकर एक NGO का गठन कर सकता है। इसलिए एक उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता है।
- विदेश से धन प्राप्ति के मामलों में सभी NGOs को FCRA अधिनियम और नियमों के अनुपालन करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- जो संस्थाएं केवल भारत की राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए योजनाबद्ध विरोध उत्पन्न करने में लिप्त पाई जाती हैं, उन्हें चयनित रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- सरकार और सिविल सोसाइटी के मध्य व्याप्त विश्वास की कमी को समाप्त करने के लिए NGOs में धन का दुरूपयोग, पारदर्शिता का अभाव और जवाबदेही जैसे मुद्दों का त्वरित समाधान आवश्यक है।
- सभी NGOs को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए, पारदर्शिता बनाये रखनी चाहिए तथा संदेह से परे रहना चाहिए।

VISION IAS

- हमें यह समझ लेना चाहिए कि सामाजिक विकास के लिए NGOs एक अपरिहार्य साधन बन गये हैं। स्वयं-सेवी क्षेत्र पर राष्ट्रीय नीति में इसे आलोकित किया गया है। विभिन्न SHGs (स्वयं सहायता समूह) पहलों, सरकारी योजनाओं और FRA, CAMPA और EIA जैसे कानूनों आदि की सफलता का श्रेय NGOs को ही जाता है। इसलिए इन्हें कारगर बनाने से देश की उत्पादकता में वृद्धि होगी।

वर्तमान समय में गृह मंत्रालय, **FCRA** के द्वारा NGOs और अन्य संस्थाओं को दान दिए जाने वाले विदेशी फण्ड की निगरानी करता है, परन्तु **प्रभावशाली निगरानी** के लिए मंत्रालय चाहता है कि वित्त मंत्रालय FEMA के अंतर्गत NGOs की निगरानी करने की अपनी शक्तियाँ उसे सौंप दे क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय दानी संस्थाएं जैसे फोर्ड फाउंडेशन, UK का अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसधान केंद्र का पंजीकरण FEMA के अंतर्गत किया गया है।

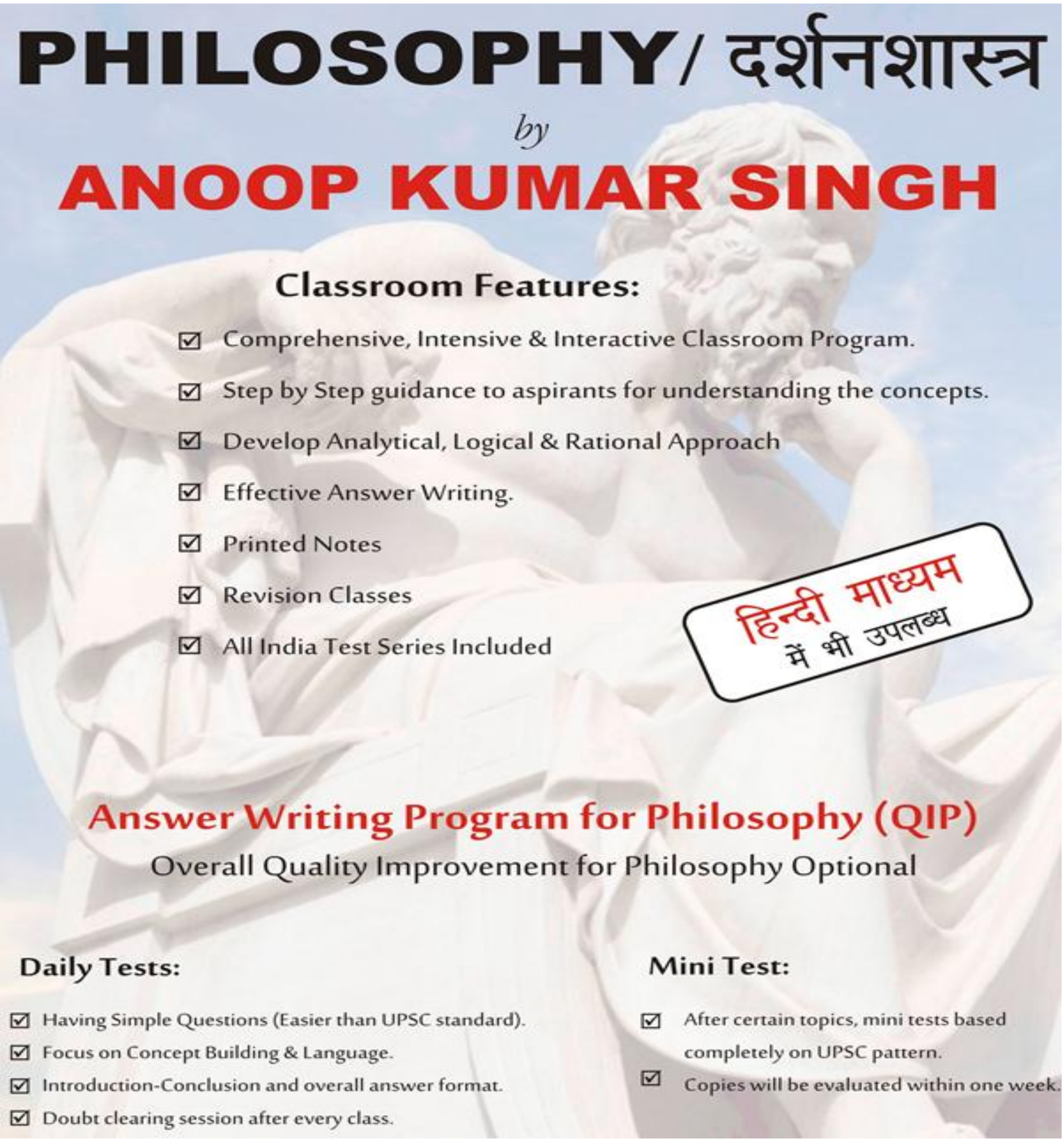

7. विविध

(MISCELLANEOUS)

7.1. केन्द्र सरकार द्वारा नागरिकता विधेयक पर शंका का समाधान (केवल अद्यतन)

(Centre Addresses Fears On Citizenship Bill (Update Only))

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सांसदों के दबाव के कारण जिन्होंने धार्मिक आधार पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रवासियों को नागरिकता देने पर आपत्ति जताई, सरकार ने जुलाई 2016 में लोकसभा में पेश किये गए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 में शब्दावली "भेदभाव" जोड़ने का निर्णय लिया।

परिवर्तन और प्रभाव

- विधेयक में "धार्मिक अल्पसंख्यकों" शब्द को अब "भेदभावग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्यकों" ("discriminated religious minorities") के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- इसका तात्पर्य यह है कि मुस्लिम संप्रदाय जैसे कि शिया और अहमदिया जो सुन्नी बहुल पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, वे भी नागरिकता के लिए पात्र होंगे।
- इस परिवर्तन को तब लाया गया जब कई सांसदों ने भारत में मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक समुदायों को अनुमति देने के लिए सरकार की योजना की आलोचना की।

7.2. वक्फ संपत्तियां

(Waqf Properties)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, देशभर में वक्फ बोर्ड की जमीन के वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए योजना बना रहा है, जिसमें मॉल, स्कूल, हॉस्टल और कार्यालयों का निर्माण शामिल है।

न्यायमूर्ति जीआर भट्टाचार्य आयोग की सिफारिशें

- राज्य भर में सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध संपत्तियों में गड़बड़ी को देखते हुए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण और जिला वक्फ बोर्डों का गठन करना।
- शक्तियों के केन्द्रीकरण को रोकना तथा वक्फ बोर्ड के सदस्यों एवं वक्फ आयुक्त द्वारा उत्तरदायित्वों से बचने के मार्गों को समाप्त करना।
- सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करना और एक से अधिक अवधि के लिए पद धारण करने से किसी को भी रोकना। सदस्य या उनके करीबी रिश्तेदारों को वक्फ संपत्ति के हस्तांतरण और लेनदेन में शामिल नहीं होना चाहिए।
- पट्टे और किरायेदारी से संबंधित कानूनों और नियमों को बदला जाना चाहिए।
- तीव्र संभव समय में वक्फ संपत्तियों का पूर्ण सर्वेक्षण और नामांकन।
- अनाधिकृत बिक्री के खिलाफ अदालत जाने के लिए वक्फ संपत्तियों के न्यासियों को सशक्त करना।
- बोर्ड की अनुमति के बिना वक्फ संपत्तियों की किसी भी प्रकार की बिक्री को पंजीकृत नहीं करना।

7.3. सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

(Public Financial Management System: PFMS)

- सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सभी लेनदेन या भुगतान के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के उपयोग को सर्वव्यापी बनाने का फैसला किया है।
- PFMs, व्यय विभाग द्वारा प्रबंधित है जो प्रसंस्करण भुगतान, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, सुलह और लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए शुरू से अंत तक समाधान प्रस्तुत करता है।

VISION IAS

महत्व

- यह प्रणाली, निधि के उपयोग की बेहतर निगरानी, समीक्षा और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए देश में केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं/कार्यान्वयन एजेंसियों को जानकारी प्रदान करेगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेहिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- यह प्रणाली, सार्वजनिक व्यय में सरकारी पारदर्शिता हेतु बेहतर नकदी प्रबंधन द्वारा तथा विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग पर वास्तविक समय सूचना के माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में प्रभावशीलता और मितव्ययता सुनिश्चित करेगी।
- यह प्रणाली, कार्यक्रम प्रशासन और प्रबंधन में सुधार एवं अर्थतंत्र में प्रवाह को कम करेगी तथा लाभार्थियों को प्रत्यक्ष भुगतान करने और सार्वजनिक धन के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।